

This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

http://rajpatrahimachal.nic.in

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

# हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 27 नवम्बर, 2019/06 मार्गशीर्ष, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 नवम्बर, 2019

संख्याः एसटीई-ए(3)-1/2004-लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 63 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश में जैव विविधता अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, हिमाचल प्रदेश जैव विविधता नियम इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—'क' के अनुसार एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जैव विविधता नियम, 2019 है।
  - (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — अति० मुख्य सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)।

# पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

# अधिसूचना

#### शिमला-2, 22 नवम्बर, 2019

संख्याः एसटीई—ए(3)—1/2004—लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 63 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः——

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जैव विविधता नियम, 2019 है।
  - (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
  - 2. परिभाषाएं.——(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,——
  - (क) ''अधिनियम'' से, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 18) अभिप्रेत है;
  - (ख) ''प्राधिकरण'' से, अधिनियम की धारा 8 की उप—धारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अभिप्रेत हैं;
  - (ग) ''जैव विविधता प्रबन्धन समिति'' से, अधिनियम की धारा 41 के अधीन स्थानीय निकायों द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है:
  - (घ) ''बोर्ड'' से, अधिनियम की धारा 22 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड अभिप्रेत है;
  - (ङ) ''अध्यक्ष'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
  - (च) ''फीस'' से इन नियमों में नियत कोई फीस अभिप्रेत है;
  - (छ) ''प्रारूप'' से, इन नियमों से प्रारूप अभिप्रेत है;
  - (ज) "सरकार" या "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

- (झ) ''सदस्य'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी हैं;
- (ञ) "सदस्य-सचिव" से, हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य सचिव अभिप्रेत हैं; और
- (ट) 'धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- 2. उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं है, और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।
- 3. अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की रीति—बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा या तो प्रतिनियुक्ति के आधार पर या राज्य सरकार के बाहर से चयन द्वारा निययुक्त किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति की दशा में आवेदक, सरकार के प्रधान सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए।
- 4. अध्यक्ष की पदावधि.—(1) बोर्ड का अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगाः

परन्तु कोई भी अध्यक्ष, ऐसा पद 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु पूर्ण करने या उसकी पदावधि के अवसान, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् धारण नहीं करेगा।

- (2) अध्यक्ष, राज्य सरकार को कम से कम एक मास का लिखित नोटिस देने के पश्चात् ही अपने पद का त्याग कर सकेगा।
- 5. अध्यक्ष का वेतन और भत्ते.——(1) सेवारत सरकारी कर्मचारी, यदि नियम 3 के अधीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह वैसे ही वेतन और अन्य भत्तों का हकहार होगा जैसे उसे अन्यथा अनुज्ञेय होते ।
- (2) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, यदि नियम 3 के अधीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसका वेतन और भत्ते उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख को आहृत वेतन और अन्य भत्तों पर विचार करने के पश्चात और राज्य सरकार के प्रचलित नियमों का भी विचार करने के पश्चात ही नियत किये जाएंगे।
- (3) सेवारत या सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों से अन्यथा किसी स्त्रोत से नियुक्त हुआ अध्यक्ष ऐसा वेतन और अन्य भत्ते आहृत करेगा, जैसे राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किए जाएं।
- 6. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य.—(1) अध्यक्ष बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और उसके पास बोर्ड के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों का सम्पूर्ण नियंत्रण होगा।
- (2) अध्यक्ष, बोर्ड की समस्त बैठकों का आयोजन और अध्यक्षता करेगा और सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा किए गए सभी विनिश्चय समुचित रीति में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- (3) अध्यक्ष या तो स्वयं या बोर्ड द्वारा उस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से अनुमोहित बजट में से समस्त संकाय स्वीकृत और आबंटित करेगा।
- (4) अध्यक्ष के पास समस्त प्राक्कलनों की प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरियां प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण शक्तियां होंगी।
- (5) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जैसे बोर्ड / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।
- 7. विशेषज्ञ—सदस्यों की पदावधि और भत्ते.——(1) बोर्ड के पांच विशेषज्ञ सदस्यों से अनिधक सदस्य, अपनी नियुक्ति के राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से एक समय पर तीन वर्ष से अनिधक अविध के लिए अपना पद धारण करेगा।

- (2) बोर्ड की बैठक में भाग लेने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ—सदस्य बैठक भत्ते, यात्रा व्ययों, दैनिक भत्ते और ऐसे अन्य भत्तों का हकदार होगा जैसे ऐसे आयोगों या समितियों की बैठक (बैठकों) में भाग लेने वाले राज्य सरकार के आयोगों और समितियों के गैर—सरकारी सदस्यों को लागू हैं।
- 8. बोर्ड का सदस्य—सचिव और पदेन सदस्य.——(1) सदस्य—सचिव को सरकार द्वारा ऐसे उपयुक्त सेवारत सरकारी कर्मचारियों में से नियुक्त किया जाएगा जिनके पास जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग के विषय में पर्याप्त जानकारी और अनुभव हो।
- (2) बोर्ड के, चार पदेन सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों जैसे वन, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आयुर्वेद, उद्योग, उद्यान आदि में से नियुक्त किया जाएगा।
- 9. बोर्ड के सदस्य—सचिव के कृत्य.——(1) सदस्य—सचिव, बोर्ड के अध्यक्ष के मार्गदर्शन के अधीन बोर्ड के दिन—प्रतिदिन के प्रशासन, निधियों के प्रबंधन, विभिन्न क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए समस्त आदेश या अनुदेश, सदस्य—सचिव या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षराधीन जारी किए जाएंगे।
- (3) सदस्य–सचिव, बोर्ड के गोपनीय पत्रों सिहत समस्त दस्तावेजों के सुरक्षित अभिरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे पेपरों को बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा निदेशित किये जाने पर उपलब्ध करवाएगा।
- (4) सदस्य सचिव या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, बोर्ड के समस्त अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की गोपनीय रिपोर्ट लिखेगा और अनुरक्षित करेगा तथा उन्हें अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित करवाएगा।
- (5) सदस्य सचिव या अध्यक्ष द्वारा समस्त रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी अनुमोदित बजट से सभी संदायों को मंजूर और आबंटित कर सकेगा।
- (6) सदस्य सचिव ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जैसे उसे अध्यक्ष/बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर समनदेशित किए जाएं।
- 10. विशेषज्ञ—सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना.——(1) बोर्ड का कोई विशेषज्ञ—सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से किसी भी समय अपने पद का त्याग कर सकेगा और बोर्ड में उस सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा।
- (2) बोर्ड में किसी विशेषज्ञ—सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को नए नाम निर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरने हेतु नाम निर्देशित व्यक्ति केवल उस सदस्य, जिसके स्थान पर वह नाम निर्देष्ट किया गया था, के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही पद धारण करेगा।
- 11. बोर्ड के कृत्य.—विशिष्टतया और अधिनियम के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगा, अर्थात:—
  - (1) अधिनियम की धारा 23 के अधीन उपबंधित क्रियाकलापों को विनियमित करने की प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना;
  - (2) राज्य जैव विविधता कार्य नीति और कार्य योजनाओं तथा जैव विविधता लक्ष्यों के बनाने, अद्यतन करने और कार्यान्वयन को सुकर बनाना;
  - (3) राज्य सरकार के विभागों और जैव विविधता प्रबन्ध समितियों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना:

- (4) जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के कृत्यों को समन्वित करना;
- (5) जैव विविधता से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर अध्ययन करना और अन्वेषण तथा अनुसन्धान प्रायोजित करना और सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला/बैठकें आयोजित करना;
- (6) बोर्ड को इसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, तीन वर्ष से अनिधक किसी विनिर्दिष्ट अविध के लिए परामर्शदाता नियुक्त करनाः

परन्तु यदि किसी परामर्शदाता को तीन वर्ष की कालावधि से अधिक के लिए नियुक्त करना आवश्यक और समीचीन है तो बोर्ड ऐसी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की पूर्वानुमित प्राप्त करेगाः

- (7) जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटको के पोषणीय उपयोग और जैवीय संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यपूर्ण प्रयोजन से सम्बंधित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़े, मैन्युअल, संहिताएं या गाइडें संगृहीत, संकलित और प्रकाश्ति करना;
- (8) जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग, और जैवीय संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन से संबंधित जन प्रचार के माध्यम से एक वृहत् कार्यक्रम आयोजित करना;
- (9) संकटमय और स्थानिक वनस्पति, प्राणी, जीवाणु आदि की प्रास्थिति का निर्धारण करना;
- (10) जैव विविधता संरक्षण और उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग के लिए कार्यक्रमों में लगे या संभाव्य व लगाए जाने वाले कार्मिकों के लिए योजना बनाना और प्रशिक्षण आयोजित करना;
- (11) राज्य में जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में या उसके पोषणीय उपयोग, और उद्भूत लाभों पर किए गए नवोन्मेसी अभिनव कार्यों के लिए व्यक्ति/समुदाय/संस्था को पुरस्कृत करना;
- (12) प्रभावी प्रबंधन संवर्धन और पोषणीय उपयोगों को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता रिजस्टर और इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस के माध्यम से जैवीय संसाधनों और सहबद्ध पारम्परिक ज्ञान के लिए डाटा बेस बनाने और जानकारी तथा दस्तावेज पद्धित सुजित करने के लिए कदम उठाना;
- (13) स्थानीय निकायों या जैव विविधता प्रबंधन समितियों को लिखित में और उपयुक्त मौखिक साधनों के माध्यम से अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा संरक्षण पोषणीय उपयोग और साम्यपूर्ण लाभों के प्रभाजन से सम्बंधित समस्त उपायों में उसकी सार्थक सहभागिता को सुकर बनाने के लिए निदेश देना;
- (14) जैविक संसाधनों तथा उनसे सहबद्ध जानकारी पर आधारित बौद्धिक सम्पदा अधिकार सहित अन्य अधिकारों के साथ—साथ यथा समुचित ऐसी जानकारी गोपनीय बनाये रखने की प्रणाली तथा इसके साथ लोगों के जैव विविधता रिजस्टर में अभिलिखित जानकारी का संरक्षण सुनिश्चित करने के उपाय करना;
- (15) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए अनुदान सहायता और अनुदान मंजूर करना;
- (16) यह सुनिश्चित करना कि जैव विविधता तथा उस (जैव विविधता) पर आश्रित आजीविका योजना एवं प्रबंधन के समस्त क्षेत्रों, तथा स्थानीय से राज्य स्तर तक योजना के सभी स्तरों पर एकत्रित हो जाएं, ताकि ऐसे क्षेत्रों और प्रशासनिक स्तरों को संरक्षण तथा पोषणीय उपयोग और प्रभावी योगदान देने के लिए समर्थ बनाया जा सके;

(17) बोर्ड का, उसकी अपनी प्राप्तियों के साथ—साथ, राज्य और केंद्रीय सरकार से उसके अवमूल्यन को भी समाविष्ट करते हुए, वार्षिक बजट तैयार करनाः

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों के अनुसार प्रचालित किया जाएगा;

(18) बोर्ड के कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार को पदों के सृजन करने की सिफारिश करना और ऐसे पदों का सृजन करनाः

परन्तु ऐसा कोई पद चाहे स्थायी/अस्थायी हो, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना सृजित नहीं किया जाएगा;

- (19) किसी ऐसे क्रियाकलाप को जो, जैव विविधता के संरक्षण और पोषणीय उपयोग या ऐसे क्रियाकलापों से उद्भूत फायदों के साम्यपूर्ण प्रभाजन के उद्देश्यों के अहितकर या प्रतिकूल हो, को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करना;
- (20) बोर्ड के कार्यकरण और अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट करना।
- (21) समय—समय पर जैव संसाधनों के लिए फीस की संस्तुति करना, विनिर्दिष्ट करना, उपान्तरित करना और उसको संग्रहीत करना;
- (22) राजस्व वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय जैसे कि सावधि जमा, विज्ञापन प्रतिभूतियों, दान और अन्य उपाय अंगीकर करना;
- (23) राज्य से किसी अवैध रीति से अभिप्राप्त किसी जैवीय संसाधन एवम् सहबद्ध ज्ञान पर बौद्धिक सम्पदा के अधिकार अनुदत्त करने का विरोध करने के लिए विधि विशेषज्ञों की सेवाएं लेना और अन्य आवश्यक उपाय करना; और
- (24) ऐसे अन्य कृत्य, जो समय—समय पर जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य सरकार द्वारा समन्देशित किये जाएं या निदेशित किये जाएं, करना ।
- 12. जैव संसाधनों तक पहुंच या संग्रहण के लिए प्रक्रिया.——(1) जैव संसाधनों तक पहुंच के लिए और उनके वाणिज्यिक उपयोग के लिए बोर्ड की पूर्वानुमित मांगने वाला कोई व्यक्ति बोर्ड को प्रारूप—1 में आवेदन करेगा।
- (2) प्रारूप—1 में प्रत्येक ऐसा आवेदन निम्न यथा विहित जैव संसाधनों के विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक उपयोग के लिए, "हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड" के पक्ष में आहरित, राष्ट्रीकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में फीस सहित किया जाएगा।
  - (i) व्यापार और विनिर्माण सहित वाणिज्यक उपयोग के लिए:

रु० 10000 ∕ —

(ii) जैव सर्वेक्षण / जैव उपयोग / अनुसन्धान आदि जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए हैं:

रु० 5000 ∕ —

(iii) जैव सर्वेक्षण / जैव उपयोग / अनुसन्धान आदि जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए न होः

कोई फीस नहीं:

परन्तु उपरोक्त फीस बोर्ड द्वारा समय समय पर संशोधित की जा सकेगी।

(3) बोर्ड आवेदन के सम्यक् मूल्यांकन के पश्चात् और सम्बद्ध जैव विविधता प्रबन्ध समिति और स्थानीय निकाय के परामर्श के पश्चात् तथा ऐसी अतिरिक्त सूचना, जो यह आवश्यक समझे, एकत्र करने के पश्चात्, यथा संभव इसकी प्राप्ति के छह मास की अविध के भीतर, आवेदन का निपटारा करेगा।

(4) आवेदन के गुणागुण (मेरिट) का समाधान होने पर बोर्ड अनुमोदन प्रदान कर सकेगा या किसी ऐसे कार्यकलाप को नामंजूर कर सकेगा यदि इसकी राय है कि ऐसा कार्यकलाप जैव विविधता के संरक्षण और पोषणीय उपयोग या ऐसे कार्यकलाप से उद्भूत फायदों के साम्यपूर्ण प्रभाजन के उद्देश्यों के लिए अहितकर या प्रतिकूल हो:

परन्तु कोई भी ऐसा नामंजूरी आदेश प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नहीं दिया जाएगा।

(5) अनुमोदन / अनुज्ञा, बोर्ड के किसी प्राधिकृत अधिकारी और आवेदक के मध्य सम्य्क रूप से हस्ताक्षरित, पहुंच और लाभ के सहभाजन (ए० बी० एस०) के लिए लिखित करार के रूप में होगी। करार का आरूप ऐसा होगा जैसा बोर्ड द्वारा समय—समय पर विनिश्चित किया जाए:

परन्तु पहुंच और लाभ का प्रभाजन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण / भारत सरकार द्वारा समय—समय पर यथा अधिसूचित दिशा—निर्देशों / विनियमों में उपबंधित रीति में ही कार्यान्वित किया जाएगा।

- (6) जैव संसाधन के लिए पहुंच के अनुमोदन / करार में जैव संसाधनों के संरक्षण और संरक्षा के लिए अधिनियम और सम्बद्ध विनियमों के अनुसार विशेष उपायों का उपबन्ध किया जा सकेगा।
- (7) प्रारूप—1 में दी गई कोई भी सूचना गोपनीय रखी जाएगी और किसी व्यक्ति को, जो इससे सम्बद्ध नहीं है, को न तो आशय से न ही बिना आशय के प्रकट की जाएगी।
- 13. पहुंच / अनुमोदन का प्रतिसंहरण.——(1) बोर्ड या तो किसी शिकायत के आधार पर या स्वप्रेरणा से, पहुंच के लिए प्रदान किये गए अनुमोदन को वापिस ले सकेगा और निम्नलिखित शर्तों के अधीन लिखित करार का प्रतिसंहरण कर सकेगा, अर्थात् :——
  - (i) इस युक्तियुक्त आधार पर कि उक्त जैव संसाधनों का अभिगम करने वाले व्यक्ति ने अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का या उन शर्तों का, जिन पर आवेदन अनुज्ञान किया गया था, उल्लंघन किया है;
  - (ii) जब व्यक्ति करार के निबंधनों की अनुपालना करने में असफल रहा है;
  - (iii) पहुंच की किन्हीं शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहने पर;
  - (iv) पर्यावरण के संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों के संरक्षण, जीविका और जानकारी के सन्दर्भ में लोकहित के अतिल्लंघन करने पर;
- (2) प्रतिसंहरण आदेश केवल ऐसी जांच, जैसी अपेक्षित हो, करने के पश्चात और इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही किया जाएगा;
- (3) बोर्ड ऐसे प्रतिसंहरण आदेश की प्रति को, पहुँच के निषिद्ध करने और कारित नुकसान यदि कोई है, का भी निर्धारण करने और ऐसे नुकसान की वसूली के लिए कदम उठाने के लिए, जैव विविधता प्रबंधन समिति को प्रेषित करेगा।
- 14. जैव संसाधनों तक पहुंच से सम्बंधित क्रियाकलापों पर निर्बधन.—(1) बोर्ड यदि आवश्यक और समुचित समझे तो निम्नलिखित कारणों से जैव संसाधनों तक पहुंच के लिए प्रस्ताव को निबंधित या प्रतिषिद्ध करने के लिए कदम उठाएगा, अर्थात:—
  - (i) पहुंच के लिए अनुरोध किसी सकटापन्न टैक्सा (प्रजाति / प्रजाति समूह) या टैक्सा (प्रजाति / प्रजाति / प्रजाति समूह) जो ऐसी पहुंच के कारण सम्भाव्य संकटापन्न हो, के लिए हो;
  - (ii) पहुंच के लिए अनुरोध किसी स्थानिक और दुर्लभ प्रजाति के लिए हो;

- (iii) पहुंच के लिए अनुरोध से स्थानीय लोगों की जीविका, संस्कृति या स्वदेशी जानकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना हो;
- (iv) पहुंच के लिए अनुरोध से आनुवंशिक क्षरण की संभावना हो या पारिस्थितिकीय तन्त्र की क्रियाविधि प्रभावित हो सकती हो;
- (v) पहुंच के लिए अनुरोध का विपरीत पर्यावर्णीय प्रभाव की संभावना हो, जिसका नियन्त्रण एवं उपभमन (कम करना) किया जाना कठिन हो; और
- (vi) संसाधनों का उपयोग राष्ट्रीय हित और देश द्वारा किए गए अन्य सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय करारों के प्रतिकूल प्रयोजनों के लिए करना;
- (2) निर्बन्धन का कोई आदेश, ऐसी जांच, जैसी अपेक्षित हो, को किये बिना और संबद्ध स्थानीय निकायों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के परामर्श के बिना तथा इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई के अवसर दिए बिना, नहीं किया जाएगा।
- 15. राज्य जैव विविधता निधि का प्रचालन.—(1) राज्य जैव विविधता निधि का प्रचालन बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से सदस्य सचिव द्वारा या बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, किया जाएगा।
- (2) राज्य सरकार, राज्य विधानमण्डल द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् पुनर्विनियोजन के पश्चात् बोर्ड को ऐसी राशि का संदाय करेगी, जैसा राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोजित किए जाने के लिए उचित समझे।
- (3) बोर्ड को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अभिनियम, 1976 के उपबन्धों का सम्यक अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय और अर्न्तर्राष्ट्रीय दाता अभिकरणों से निधियां प्राप्त करने की शक्तियां होंगी। सदस्य सचिव को बोर्ड का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात प्रस्ताव बनाने और उन्हें प्रस्तुत करने तथा परियोजनाओं को निष्पादित करने की शक्ति होगी।
- (4) बोर्ड, यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा—निर्देशों की विरचना करेगा की निधि के प्रबन्धन और उपयोग की बाबत विनिश्चय पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदार हैं।
- (5) बोर्ड प्रयोजन के लिए उपलब्ध बजट के अधीन क्रय करने या किसी संकर्म हेतु वितरण या संदाय के लिए, कुटेशन या निविदा की सीमा की बाबत अपने दिशा—निर्देशों की विरचना कर सकेगा।
- 16. बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट और लेखों की वार्षिक विवरणी.——(1) बोर्ड पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अपने क्रियाकलापों के लेखों और लेखों की वार्षिक विवरणी का विस्तृत वर्णन करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।
- (2) बोर्ड लेखों की सम्परीक्षित विवरणी सिहत लेखों को अंतिम तारीख अर्थात् 30 सितम्बर से छह मास के भीतर वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- (3) बोर्ड के लेखे राज्य के महालेखाकार के परामर्श से संपरीक्षित किये जाएंगे। बोर्ड संपरीक्षक की रिपोर्ट सिहत लेखों की संपरीक्षित प्रति प्रत्येक वर्ष के 30 अक्तूबर तक प्रारूप—2 में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- (4) राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और सम्परीक्षक की रिपोर्ट, उनकी प्राप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र विधानसभा के समक्ष करेगी।
- **17. जैव विविधता विरासत स्थलों का प्रबंधन और घोषणा.**—(1) बोर्ड, स्थानीय निकायों या जैव विविधता प्रबंध समिति और अन्य पदाधारियों के परामर्श से जैव विविधता के महत्त्व के क्षेत्रों की जैव विविधता

स्थल, के रूप में स्थापना को सुकर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। बोर्ड केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुरूप प्रबंधन और अन्य पहलुओं के लिए दिशा—निर्देशों की विरचना भी करेगा।

- **18. जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन.—**(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर जैव विविधता प्रबंध समिति (बी० एम० सी०) का गठन करेगी।
- (2) उप नियम (1) के अधीन गठित जैव विविधता प्रबंध समिति में एक अध्यक्ष और स्थानीय निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट छह व्यक्तियों से अनिधक सदस्य होंगे, जिनमें एक तिहाई से अन्यून महिलाएं होनी चाहिएं और अठारह प्रतिशत से अन्यून अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए:

परन्तु जैव विविधता प्रबंध समिति के सदस्य स्थानीय निकाय के सिद्ध निवासी होने चाहिएं और उनके नाम सम्बद्ध स्थानीय निकाय की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने चाहिएं।

- (3) जैव विविधता प्रबंध समिति का अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षताधीन बैठक में समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा। मतों की बराबरी की दशा में स्थानीय निकाय के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।
- (4) जैव विविधता प्रबंध समिति का कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष का होगा और स्थानीय निकाय के कार्यकाल के साथ सह—विस्तारी होगा, तथापि, विद्यमान जैव विविधता प्रबंध समिति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नई समिति का गठन नहीं हो जाता है।
- (5) जैव विविधता प्रबंध समिति वर्ष में कम से कम चार बैठकें करेगी और प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बैठक करेगी। बैठक की अध्यक्षता, जैव विविधता प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थित में उपस्थित सदस्यों द्वारा चयनित किसी अन्य सदस्य द्वारा की जाएगी। प्रत्येक बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष सहित और शासकीय सदस्य (सचिव) को अपवर्जित करके तीन सदस्यों से होगी।
- (6) विधान सभा का स्थानीय सदस्य और लोकसभा का सदस्य विभिन्न स्तरों पर जैव विविधता प्रबंध समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रिति होगा / होंगे।
- (7) जैव विविधता प्रबंध समिति का मुख्य कृत्य स्थानीय लोगों के परामर्श से लोक जैव विविधता रिजस्टर तैयार करना है। रिजस्टर में स्थानीय जैविक संसधानों की उपलब्धता और जानकारी, उनके चिकित्सकीय या अन्य किसी उपयोग या उनसे सम्बद्ध किसी अन्य पारम्परिक जानकारी पर व्यापक जानकारी अंतर्विष्ट होगी।

जैव विविधता प्रबंध समिति लोगों के जैव विविधता रिजस्टरों विशेषतयाः वाह्य व्यक्तियों और अभिकरणों की पहुंच को विनियमित करने और इनकी सुरक्षा करने के लिए उत्तरदायी होगी।

- (8) लोगों के जैव विविधता रिजस्टर को तैयार करने के अतिरिक्त, जैव विविधता प्रबंध समिति अपनी अधिकारिता में निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी—
  - (क) जैव संसाधनों का संरक्षण, पोषणीय उपयोग और पहुंच तथा लाभ-प्रभाजन;
  - (ख) स्थानीय जैव विविधता का पर्यावरणीय प्रत्यावर्तन;
  - (ग) बोर्ड और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को बौद्धिक सम्पदा प्राधिकार (आई पी आर), पारम्परिक जानकारी और स्थानीय जैव विविधता के मामलों पर प्रतिसूचना / सूचना देना;
  - (घ) जैव विविधता विरासत स्थलों का प्रबंधन जिसके अंतर्गत विरासत वृक्ष, पशु / सूक्ष्म जीव आदि और पवित्र कुंज और पवित्र जलाशय भी हैं;

- (ङ) वाणिज्यिक और अनुसन्धान के प्रयोजनार्थ जैव संसाधनों और सम्बद्ध पारंपरिक जानकारी तक पहुंच का विनियमन;
- (च) आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण पौधों / पशुओं की पारम्परिक किस्मों / संतति का संरक्षण;
- (छ) जैव विविधता शिक्षा और जागरूकता उत्पन्न करना;
- (ज) जैव संस्कृति नयाचार के विकास की प्रक्रिया के लिए दस्तावेजीकरण; और
- (झ) पक्षियों और पशुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के उपाय ।
- (9) जैव संसाधनों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्यों और व्यवसायियों के बारे में अनुमोदन प्रदान करने, उनके आंकड़े अनुरक्षित करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा इसे निर्दिष्ट किसी मामले पर परामर्श देना।
- (10) तकनीकी सहायता समूह का बोर्ड द्वारा समुचित स्तर पर (राज्य/क्षेत्र/जिला/ विकासखंड/ग्राम पंचायत आदि) गठन किया जा सकेगा। किसी भी स्तर पर गठित तकनीकी सहायता समूह में स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित विभागों जैसे वन, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्यपालन, आयुर्वेद, उद्योग, शैक्षिक तथा अनुसन्धान और विकास संस्थाएं, गैर—सरकारी संगठनों, जड़ी—बूटी व्यावसायिक आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। तकनीकी सहायता समूह वनस्पति और प्राणिजात से सम्बंधित स्थानीय नामों तथा इसकी राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, जिसे लोक जैव विविधता रजिस्टर में सम्मिलित किया जाना है, के संरक्षण की बाबत समुदायों की प्रचलित प्रथाओं को सूचीबद्ध करने में जैव विविधता प्रबंध समिति की सहायता करेगा।
- (11) जैव विविधता प्रबंध समिति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा यथा विहित लोक जैव विविधता रजिस्टरों में विभिष्टियों के दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित करेगी। बोर्ड, लोक जैव विविधता रजिस्टर को बनाने के लिए, जैव विविधता प्रबन्ध समिति का मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- (12) लोक जैव विविधता रजिस्टर, जैव विविधता समिति द्वारा अनुरक्षित और विधिमान्य किये जाएंगे। तत्पश्चात् ये बोर्ड द्वारा इसके प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से प्रतिहस्क्षारित किए जाएंगे।
- (13) जैव विविधता प्रबन्ध समिति जैव संसाधनों के पहुंच के ब्योरे और दी गई पारंपरिक जानकारी, अनुरक्षण अधिरोपित संग्रहण फीस और प्राप्त लाभों के ब्योरे तथा अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर उनके सहभाजन की रीति की सूचना देते हुए एक रजिस्टर का अनुरक्षण भी करेगी।
- (14) जैव विविधता प्रबंध समिति बोर्ड के परामर्श से इसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किन्हीं जैव संसाधनों तक पहुंचने वाले या उनको संगृहीत करने वाले किसी व्यक्ति से फीस के संग्रहण द्वारा प्रभार उद्ग्रहीत कर सकेगी। प्रभारित फीस जैव विविधता प्रबंध समिति की स्थानीय जैव विविधता निधि में निक्षिप्त की जाएगी।
- (15) प्रत्येक जैव विविधता प्रबंध समिति लोक जैव विविधता रिजस्टर में से विधिमान्य सूचना ग्रहण करते हुए एक कार्य योजना तैयार करेगी। तकनीकी सहायता समूह कार्य—योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करेगा।
- (16) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि जैव विविधता प्रबंध समितियां क्रास—सदस्यता, नियमित समन्वय बैठकों और अन्य ऐसे उपायों, जो स्थानीय निकायों या जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, द्वारा विद्यमान स्थानीय संस्थाओं के कृत्यों के साथ एकीकृत हैं।

- 19. स्थानीय जैव विविधता निधि.——(1) अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के अनुसार, जैव विविधता प्रबन्ध समिति या स्थानीय निकाय के स्तर पर 'स्थानीय जैव विविधता निधि'' के नाम से ज्ञात निधि गठित की जाएगी।
- (2) अधिनियम की धारा 44 की उप—धारा (2) के अनुसार सम्बद्ध स्थानीय निकाय की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्रों में जैव—विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए तथा स्थानीय समुदाय, जहां तक ऐसा उपयोग जैव विविधता के संरक्षण के साथ संगत हो, की प्रसुविधा के लिए निधि का उपयोग किया जाएगा।
- (3) समस्त निधियां, जिनके अंतर्गत स्थानीय जैव विविधता निधि भी है, जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रचालित की जाएंगी। बोर्ड निधि के संचालन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत, जिनके अंतर्गत इसके कार्यकरण को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने हेतु उपाय है, अधिकथित करेगा।
- (4) जैव विविधता प्रबंध समिति का सचिव, जैव विविधता प्रबंध समिति के लेखाओं का रख—रखाव करेगा। लेखांकन प्रक्रिया को तैयार किया जाएगा तथा लेखाओं /रिजस्टरों के रख—रखाव हेतु आरूप बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- 20. जैव विविधता प्रबन्ध समिति की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं की लेखा परीक्षा.——(1) अधिनियम की धारा 46 के अनुसार स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखे संपरीक्षकों द्वारा इस प्रकार अनुरक्षित किए जाएंगे और प्रति वर्ष संपरीक्षित किए जाएंगे, जैसे बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (2) जैव विविधता प्रबन्ध समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सिहत वार्षिक लेखों की सम्परीक्षित प्रति के साथ पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान इसके क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा देते हुए प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक प्ररूप—3 में उसकी एक प्रति बोर्ड को, एक प्रति स्थानीय निकाय की साधारण सभा और स्थानीय निकाय के क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगी।
- 21. विवादों का निपटारा.—यदि दो या दो से अधिक जैव विविधता प्रबंध समितियों या जैव विविधता समिति / समितियों और किसी विभाग / विभागों या दो विभागों के मध्य जैव विविधता विषय से सम्बंधित किसी मामले में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो व्यथित पक्षकार, बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष, विहित प्ररूप—4 में आवेदन फाइल कर सकेगा। अध्यक्ष का आदेश अन्तिम होगा और सभी पक्षकारों को लागू होगा।

#### प्ररूप-1

(अधिनियम की धारा-24 तथा नियम-12 देखें)

जैव संसाधनों तथा सहबद्ध पारम्परिक जानकारी तक पहुंचने के लिए आवेदन प्रारूप

भाग-क

- 1. आवेदक का पूर्ण विवरण
  - (क) नाम :
  - (ख) स्थायी पता :
  - (ग) भारत में संपर्क व्यक्ति/अभिकर्ता, यदि कोई हो का पता :
  - (घ) संगठन का विवरण (यदि आवेदक कोई व्यक्ति है, तो उसका वैयक्तिक विवरण) (कृपया अधिप्रमाणन हेतु सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें) :
  - (ङ) कारबार की प्रकृति :
  - (च) संगठन का व्यावृत (टर्नओवर) भारतीय रुपये में :

- 2. चाही गयी पहुंच की प्रकृति के बारे में ब्योरे तथा जानकारी और पहुंच हेतु जैव सामग्री और / या सहबद्ध जानकारी :
  - (क) जैव संसाधनों की पहचान (वैज्ञानिक नाम) तथा उनके पारम्परिक उपयोग :
  - (ख) प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक अवस्थिति (गांव, तहसील और जिला सहित) :
  - (ग) पारम्परिक जानकारी का वर्णन / प्रकृति और इसकी विद्यमान अभिव्यक्तियां और उपयोग (मौखिक / अभिलिखित) :
  - (घ) पारम्परिक जानकारी धारित करने वाली पहचान की गई कोई व्यष्टि / कुटुम्ब / समुदाय :
  - (ङ) संगृहीत किए जाने वाले जैव संसाधनों की मात्रा :
  - (च) समयावधि, जिसमें जैव संसाधनों को संग्रहीत किये जाने का प्रस्ताव है :
  - (छ) संग्रहण करने के लिए कम्पनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और नंबर :
  - (ज) प्रयोजन जिसके लिए पहुंच का अनुरोध किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुसन्धान के प्रकार और विस्तार, व्युत्पन्न किये जा रहे और उससे व्युत्पन्न किये जाने हेतु प्रत्याशित वाणिज्यिक उपयोग है:
  - (झ) क्या संसाधनों के किसी एकत्रीकरण या उपयोग से जैव विविधता के किसी घटक को संकट उत्पन्न होता है और कोई जोखिम, जो पहुंच से उत्पन्न हो सकता है :
  - 3. किसी राष्ट्रीय संस्था जो अनुसन्धान और विकास क्रियाकलापों में भाग लेगी के ब्योरे।
- 4. पहुंच–प्राप्त संसाधन का प्रारंभिक गंतव्य तथा उस स्थान की पहचान, जहां अनुसंधान एवं विकास किया जाएगा :
- 5. आर्थिक और अन्य फायदे, जिनके अंतर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकार से प्राप्त होने वाले भी हैं, पहुँच प्राप्त जैविक संसधानों से अभिप्राप्त पेटेंट और जानकारी, जो आवेदक या उससे सम्बंधित देश के लिए आशयित हैं या प्रोद्भृत हो सकता है :
- 6. जैव–प्रौद्योगिकीय, वैज्ञानिक, सामाजिक या कोई अन्य फायदे जो कि पहुंच प्राप्त जैविक संसाधनों से अभिप्राप्त किये हों और जानकारी जो आवेदक या उससे सम्बंधित देश के लिए आशयित है या प्रोद्भूत हो सकता है:
- 7. उन फायदों का अनुमान, जो पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और पारम्परिक जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समुदायों को प्राप्त होंगे :
  - फायदों के प्रभाजन हेत् प्रस्ताविक तंत्र एवं व्यवस्थाएं :
  - 9. कोई अन्य सूचना :

भाग- ख

#### घोषणा

मैं / हम घोषणा करते हैं कि प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण और उपयोग से-

- संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;
- कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा;

- जैव विविधता को कोई जोखिम, जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकीय तत्रं प्रजाति और आनुवंशिक विविधता है, नहीं होगा:
- स्थानीय समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैं /हम बोर्ड या जैव विविधता प्रबंध समिति द्वारा उदगृहीत की जा सकने वाली फीस और /या रॉयल्टी संदत्त करने का वचनबंध करते हैं। मैं /हम किसी अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए देने का और वचनबंध करता हूँ / करते हैं।

मैं / हम और घोषणा करता हूँ / करते हैं कि आवेदन प्ररूप में प्रदत्त जानकारी सत्य और सही है तथा मैं / हम किसी असत्य / गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी हूँगा / होंगे।

			हस्ताक्षर
		512 511	
स्थानः तारीखः			
(II (I G)			

#### प्ररूप-2

# [अधिनियम की धारा 33 तथा नियम 16 (3) देखें]

### हिमाचल प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का वार्षिक रिपोर्ट आरूप

हिमाचल प्रदेश जैव विविधता बोर्ड द्वारा तैयार की जाने वाली ''वार्षिक रिपोर्ट'' में निम्नलिखित शीर्ष हो सकते हैं:

- 1. अवधि, जिससे रिपोर्ट सम्बंधित है (वित्तीय वर्ष) :
- 2. अवधि के दौरान पदाधिकारी :
  - (i) अध्यक्ष का नाम :
  - (ii) सदस्य सचिव का नाम:
- 3. राज्य का परिचय और जैव विविधता रूपरेखा :
- 4. बोर्ड का गठन :
- 5. बोर्ड की बैठक, किये गए विनिश्चय और बैठक का कार्यव्रत :
- राज्य में जैव विविधता प्रबंध समिति के गठन से सम्बंधित प्रगति रिपोर्ट :
- लोक जैव विविधता रिजस्टर (पी वी आर) तैयार किए जाने सम्बन्धी प्रगति रिपोर्ट :
  - (i) प्रलेखन :
  - (ii) अद्यतनीकरण :
  - (iii) विधिमान्यकरण :

- 8. जैव विविधता विरासत स्थल (वी एच एस) को घोषित किये जाने की प्रगति रिपोर्ट :
- 9. चालू परियोजनाओं (यदि कोई हों) तथा प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट :
- 10. वर्ष के दौरान आयोजित किसी अन्य कार्यक्रम / कार्यकलापों / उत्सवों का विवरण :
- 11. जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना से सम्बंधित कार्यकलाप :
- 12. मानव संसाधन विकास—कार्यशाला/प्रशिक्षण/कार्यक्रम/सम्मेलन/सेमीनार आदि से सम्बंधित कार्यकलाप:
  - 13. बोर्ड की वित्तीय स्थिति और तुलनपत्र जिसके अंतर्गत संपरीक्षक-रिपोर्ट है :
  - 14. वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट :
- 15. जैव संसाधनों तथा पारम्परिक जानकारी से सम्बंधित राज्य पहुंच और लाभ के प्रभाजन की परिस्थिति का संक्षिप्त विवरण :
- 16. जैव विविधता प्रबंध समिति—राज्य जैव विविधता बोर्ड—राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मध्य महत्वपूर्ण सम्प्रेषणः
  - 17. छाया चित्र (फोटोग्राफ्स), समाचार की कतरन (यदि कोई हो) :
  - 18. कोई अन्य सूचना :

#### \_\_\_\_\_

प्ररूप-3

# [अधिनियम की धारा 45 तथा नियम 20 (2) देखें] जैव विविधता प्रबंध समिति का वार्षिक रिपोर्ट आरूप

जैव विविधता प्रबन्ध समिति द्वारा तैयार की जाने वाली ''वार्षिक रिपोर्ट'' में निम्नलिखित शीर्ष हो सकते हैं :

- समिति का नाम और विशिष्टियां :
- 2. समिति का गठन (सदस्यों के नाम) :
- 3. अवधि जिससे रिपोर्ट सम्बंधित है (वित्तीय वर्ष) :
- अवधि के दौरान पदग्राही :
  - (i) अध्यक्ष का नाम :
  - (ii) सचिव का नाम:
- वर्ष के लिए कार्यक्रमों की कार्यवाही का विस्तृत विवरण :
- वर्ष के दौरान किये गए क्रियाकलापों की विस्तृत रिपोर्ट :
- 7. समिति की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण :

9.	लोक	जैव	विविधता	रजिस्टर	(पी०	बी०	आर०)	में	कार्य	की	प्रगति	:

- (i) प्रलेखन:
- (ii) अद्यतनीकरण :

अधिकारिता क्षेत्र का मानचित्र :

- (iii) राज्य जैव विविधता बोर्ड के परामर्श से विधिमान्यकरण :
- 10. बैठकों के कार्यवृन्त और जैव विविधता प्रबन्ध समिति द्वारा पारित संकल्प और किये गए विनिश्चयः
- 11. जैव विविधता प्रबन्ध समिति की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट :
- 12. आगंतुकों की सूची :
- 13. व्यक्तियों / संगठनों की सूची, जिन्हें जैव विविधता प्रबन्ध समिति द्वारा जैव संसाधनों तथा पारम्परिक जानकारी तक पहुंच की अनुमित प्रदान की गई थी :
  - 14. विभीन्न प्राप्तियों के ब्योरे :
  - (i) जैव संसाधनों के संग्रहण के लिए उद्गृहीत फीस के रूप में प्राप्ति :
  - (ii) पारम्परिक जानकारी तक पहुंच प्रदान किये जाने से प्राप्ति :
  - (iii) फायदे के प्रभाजन से प्राप्ति :
  - (iv) अन्य स्त्रोतों से प्राप्ति :
- 15. जैव विविधता प्रबन्ध समिति—राज्य जैव विविधता बोर्ड—राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मध्य महत्त्वपूर्ण सम्प्रेषण :
  - 16. छायाचित्र (फोटोग्राफ्स), समाचार की कतरन (यदि कोई हो) :
  - 17. कोई अन्य सूचना :

प्ररूप–4

(नियम 21 देखें)

आवेदन का प्ररूप

#### राज्य जैव विविधता बोर्ड के समक्ष

आवेदन	संख्या	 	 	 	 	-दिनांक	 	 	
		 	 	 	 		 	 	आवेदक

8208		राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 नवम्बर, 2019 / 06 मार्गशीर्ष, 1941 बनाम
		त्रारापादा
(यहां प	र यथ	गरिथति, जैव विविधता प्रबन्ध समिति ∕ विभाग का नाम वर्णित करें)
		इस आवेदन को प्रतिवादी द्वारा निम्ननिखित तथ्यों और आधारों पर पारित आदेश, तारीख यर करने की प्रार्थना करता है :
	1.	तथ्य :
		(यहां मामले के तथ्यों का संक्षिप्ततः वर्णन करें)
		i.
		ii.
		iii.
		iv.
	2.	आधार :
		(यहां उन आधारों का वर्णन करें जिन पर आवेदन किया गया है)
		i.
		ii.
		iii.
		iv.
	3.	आवेदित (मांगी गई) राहत :
	i.	
	ii.	
	iii.	
	4.	प्रार्थना :
	(ক)	आवेदक, उपरोक्त कथन (प्रतिवेदन) के आधार पर, सादर प्रार्थना करता है कि प्रतिवादी आदेश / विनिश्चय को खारिज / रद्द किया जाये।
	(ख)	प्रतिवादी के आदेश / विनिश्चय को —————— सीमा तक खारिज / संशोधित / रद्द क दिया जाए।
स्थान :-		आवेदक के हस्ताक्षर
तारीख	:	मोहर सहित
		पता

#### सत्यापन

आधार				यह घोषणा — तारीख -							कारी	और	विश्वास	के
							;	आवेदक मोहर स पता——	ाहित -	स्ताक्षर 				
संलग्न	<b>क</b> : -	1. आदेश <i>,</i>	⁄ निदेश, रि	जेसके विरुद्ध	आवेदन	किया	गया है,	की अ	ध्रप्रमापि	णेत प्रतिर्व	लेपि	I		

#### ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

Shimla-171 002, the 22nd November, 2019

**No. STE-B(3)-1/2004-loose.**—In exercise of the powers conferred under section 63 of the Biological Diversity Act, 2002 (No. 18 of 2003), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the Himachal Pradesh Biological Diversity Rules for carrying out the purposes of the Biological Diversity Act as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Biological Diversity Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order, Sd/-Addl. Chief Secretary(Env., Sci .& Tech.)

#### ENVIRONMENT, SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

Shimla-2, the 22nd November, 2019

**No. STE-A(3)-1/2004** –**Loose.**—In exercise of the powers conferred under section 63 of the Biological Diversity Act, 2002 (Act No. 18 of 2003), the Government of Himachal Pradesh hereby makes the following rules for carrying out the purposes of the Act, namely:—

- **1. Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Biological Diversity Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

- **2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
  - (a) "Act" means the Biological Diversity Act, 2002 (Act No. 18 of 2003);
  - (b) "Authority" means the National Biodiversity Authority established under subsection (1) of Section 8 of the Act;
  - (c) "Biodiversity Management Committee" means Committee constituted by local bodies under section 41 of the Act:
  - (d) "Board" means the Himachal Pradesh State Biodiversity Board established under section 22 of the Act;
  - (e) "Chairperson" means the Chairperson of the Himachal Pradesh State Biodiversity Board;
  - (f) "fee" means any fee stipulated in these rules;
  - (g) "Form" means form appended to these rules;
  - (h) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;
  - (i) "member" means a member of the Himachal Pradesh State Biodiversity Board and includes the Chairperson;
  - (j) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Himachal Pradesh State Biodiversity Board; and
  - (k) "Section" means a section of the Act.
- (2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.
- **3.** Manner of selection and appointment of the Chairperson.—The Chairperson of the Board shall be appointed by the State Government either on deputation basis or by selection from outside the State Government. In case the appointment is through deputation, the applicant should not be below the rank of Principal Secretary to the Government.
- **4. Term of Office of the Chairperson.**—(1) The Chairperson of the Board shall hold the office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment:

Provided that no Chairperson shall hold the office as such after he attains the age of 65 years or his term of office expires whichever is earlier.

- (2) The Chairperson may resign from his office by giving atleast one month notice in writing to the State Government.
- **5.** Pay and Allowances of the Chairperson.—(1) Serving Government servants, if appointed as Chairperson under rule 3, shall be entitled to the same salary and other allowances as otherwise would have been admissible to him.
- (2) Retired Government servant, if appointed as Chairperson under rule 3, his salary and allowances shall be fixed after considering the salary and other allowances drawn on the date of retirement and also the prevailing rules of the State Government.

- (3) The Chairperson, appointed from the source other than from the serving or the retired Government servants, shall draw such salary and other allowances as may be determined by the State Government from time to time.
- **6. Powers and Duties of Chairperson.**—(1) The Chairperson shall be the Chief Executive of the Board and shall have overall control of day to day activities of the Board.
- (2) The Chairperson shall convene and preside over all meetings of the Board and shall ensure that all decisions taken by the Board are implemented in proper manner.
- (3) The Chairperson either himself or through an officer of the Board authorized for the purpose, may sanction and disburse all payments against the approved Budget.
- (4) The Chairperson shall have full powers for granting administrative and technical sanctions to all estimates.
- (5) The Chairperson shall exercise such other powers and perform such other functions as may be delegated to him from time to time by the Board/State Government.
- 7. Term of office and Allowances of expert members.—(1) Not more than five expert members of the Board shall hold his/her office for a term not exceeding three years at a time from the date of publication of his appointment in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
- (2) Every expert member attending the meeting of the Board shall be entitled to sitting allowance, travelling expanses, daily allowance and such other allowances as are applicable to non-official members of Commissions and Committees of the State Government attending the meeting (s) of such Commissions or Committees.
- **8.** Member-Secretary of the Board and Ex-Officio Members.—(1) The Member Secretary shall be appointed by the Government from amongst such suitable serving Government officials having knowledge and experience in the subject of conservation and sustainable use of biological diversity.
- (2) Four ex-officio members of the Board shall be appointed by the State Government from different Departments such as Forest, Agriculture, Science and Technology, Ayurveda, Industry, Horticulture etc.
- **9. Functions of Member-Secretary of the Board.**—(1) The Member-Secretary shall be responsible for day to day administration of the Board, management of funds, implementation of various activities and programmes under the guidance of the Chairperson the Board.
- (2) All orders or instructions issued by the Chairperson shall be under the signature of the Member-Secretary or any other officer authorized in this behalf by the Board.
- (3) The Member-Secretary shall be responsible for the safe custody of all documents including confidential papers of the Board and shall produce such papers when directed by the Board/State Government.
- (4) The Member-Secretary or any other officer authorized in this behalf by the Board shall write and maintain confidential reports of all the officers and staff of the Board and shall get them countersigned by the Chairperson.

- (5) The Member-Secretary or an officer duly authorized by the Chairperson may sanction and disburse all payments against the approved budget.
- (6) The Member-Secretary shall perform such other functions as may be assigned to him by the Chairperson/Board/State Government from time to time.
- **10.** Filling up of vacancies of expert members.—(1) An expert member of the Board may resign his office at any time by giving in writing under his hand addressed to the State Government and the seat of that member in the Board shall become vacant.
- (2) A casual vacancy of an expert member in the Board shall be filled up by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term of the member in whose place he was nominated.
- 11. Functions of the Board.—In particular and without prejudice to the generalities of the provisions of the Act, the Board may perform the following functions, namely:—
  - (1) to lay down the procedure and guidelines to govern the activities provided under section 23 of the Act;
  - (2) to facilitate formulation, updating and implementation of State Biodiversity Strategy and Action Plans and Biodiversity Targets;
  - (3) to provide technical assistance and guidance to the departments of the State Government and Biodiversity Management Committees;
  - (4) to coordinate the functioning of the Biodiversity Management Committees;
  - (5) to commission studies and sponsor investigations and research and organize Conferences/Seminars/Workshops/Meetings on various issues related to biological diversity;
  - (6) to engage consultant for a specific period, not exceeding three years, for providing technical assistance to the Board in the effective discharge of its functions:

Provided that if it is necessary and expedient to engage any consultant beyond the period of three years, the Board shall seek prior approval of the State Government for such an engagement;

- (7) to collect, compile and publish technical and statistical data, manuals, codes or guides relating to conservation of biological diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resource and knowledge;
- (8) to organize through mass media a comprehensive programme regarding conservation of biological diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources and knowledge;
- (9) to assess the status of threatened and endemic species flora, fauna, microbes etc;
- (10) to plan and organize training for personnel engaged or likely to be engaged in programmes for the conservation of biological biodiversity and sustainable use of its components;

- (11) to reward person/community/institution for contribution or innovative work in the field of biodiversity conservation, its sustainable use and sharing of benefits in the State;
- (12) to take steps to build up database and to create information and documentation system for biological resources and associated traditional knowledge through biodiversity registers and electronics database, to ensure effective management, promotion and sustainable uses:
- (13) to give directions to the local bodies or Biodiversity Management Committees in writing and through appropriate oral means, for effective implementation of the Act, and to facilitate their meaningful participation in all measures relating to conservation, sustainable use and equitable benefit-sharing;
- (14) to devise methods to ensure protection of rights including intellectual property rights over biological resources and associated knowledge including systems of maintaining confidentially of such information as appropriate, including the protection of the information recorded in People's Biodiversity Registers;
- (15) to sanction grants-in-aid and grants to Biodiversity Management Committees for specific purposes;
- (16) to ensure that biodiversity and biodiversity dependent livelihood are integrated into all sectors of planning and management, and at all levels of planning from local to State, to enable such sectors and administrative levels to contribute effectively for conservation and sustainable use;
- (17) to prepare the annual Budget of the Board incorporating its own receipts alongwith the receipts from the State and Central Government:
  - Provided that the allocation by the Central Government shall be operated in accordance with the budget provisions approved by the Central Government;
- (18) to recommend creation of posts to the State Government for effective discharge of the functions of the Board and to create such posts:
  - Provided that no such post whether permanent/temporary would be created without prior approval of the State Government;
- (19) to prohibit or restrict any activity which is detrimental or contrary to the objectives of conservation and sustainable use biodiversity or equitable sharing of benefits arising out of such activities;
- (20) to report to the State Government about the functioning of the Board and implementation of the Act;
- (21) to recommend, specify, modify, collect fee of biological resources from time to time;
- (22) To adopt various measures for increase of revenue like fixed deposits, advertisements, securities, donations and others;
- (23) to hire services of legal experts and taking other necessary measures to oppose grant of intellectual property right on any biological resources and associated knowledge obtained in illegal manner from the State; and

- (24) to do such other functions as may be assigned or directed by the National Biodiversity Authority and State Government from time to time.
- 12. Procedure for access to or collection of biological resources.—(1) Any person seeking approval of the Himachal Pradesh State Biodiversity Board for access to biological resources and associated knowledge for commercial utilization shall make an application in Form-1.
- (2) Every such application in Form-1, shall be accompanied by fees in the form of demand draft from Nationalized Bank, drawn in favour of the "Himachal Pradesh State Biodiversity Board" as prescribed below for different kinds of commercial utilization of biological resources:
  - (i) For commercial utilization, including trading and manufacturing:

₹ 10,000/-

(ii) For bio-survey/bio-utilization/research etc. meant for commercial utilization:

₹ 5.000/-

(iii) For bio-survey/bio-utilization/research etc. not for commercial utilization :

No fee:

Provided that the above fee may be revised by the Board from time to time.

- (3) The Board after due appraisal of the application and after consultation with the concerned Biodiversity Management Committee and local body and after collecting such additional information as it may deem necessary, dispose-off the application, as far as possible, within a period of six months of its receipt.
- (4) On being satisfied with the merit of the application, the Board may grant the approval or reject any such activity if it is of the opinion that such activity is detrimental or contrary to the objectives of conservation and sustainable use of biodiversity or equitable sharing of benefits arising out of such activity:

Provided that no such rejection order shall be made without giving an opportunity of being heard to the person affected.

(5) The approval/permission shall be in the form of a written agreement for Access and Benefit Sharing (ABS) duly signed between an authorized officer of the Board and the applicant. The format of the agreement shall be as decided by the Board from time to time:

Provided that Access and Benefit Sharing shall be implemented in the manner provided in the guidelines/regulations as notified by the National Biodiversity Authority/Central Government from time to time.

- (6) The approval/agreement of access to biological resources may provide special measures for conservation and protection of biological resources as per the Act and related regulations.
- (7) Any information given in the Form-1 shall be kept confidential and shall not be disclosed, either intentionally or unintentionally, to any person not concerned thereto.
- **13.** Revocation of access/approval.—(1) The Board may either on the basis of any complaint or *suo moto* withdraw the approval granted for access and revoke the written agreement under the following conditions, namely:—

- (i) on the basis of reasonable belief that the person accessing the said bio resource has violated any of the provisions of the Act or the condition on which application was allowed
- (ii) when the person has failed to comply with the terms of agreement;
- (iii) on failure to comply with any of the conditions of access;
- (iv) on account of overriding public interest with reference to protection of environment and conservation of biological diversity and protection of the rights, livelihoods and knowledge of local communities.
- (2) The revocation order shall be made only after making such inquires as required and after giving the person so affected an opportunity of being heard.
- (3) The Board shall send a copy of such revocation order to the Biodiversity Management Committees for prohibiting the access and also to assess the damage, if any, caused and take steps to recover the damage.
- **14.** Restriction on activities related to access to biological resources.—(1) The Board, if it deems necessary and appropriate, shall take the steps to restrict or prohibit the proposal for access to biological resources for the following reasons, namely:—
  - (i) the request for access is for any threatened taxa or taxa that are likely to become threatened due to such access;
  - (ii) the request for access is for any endemic and rare species;
  - (iii) the request for access may likely to result in adverse effect on the livelihoods, culture, or indigenous knowledge of the local people;
  - (iv) the request for access may cause genetic erosion or affecting the ecosystem function;
  - (v) the request to access may result in adverse environmental impact which may be difficult to control and mitigate; and
  - (vi) no use of resources for purposes contrary to national interest and other related international agreements entered into by the country.
- (2) No order of restriction shall be made without making such inquires as required; and without consulting the concerned local bodies and Biodiversity Management Committees, and without giving the person so affected an opportunity of being heard.
- **15. Operation of State Biodiversity Fund.**—(1) The State Biodiversity Fund shall be operated by the Member-Secretary on behalf of the Chairperson of the Board or by such other officer of the Board as may be authorized by the Board in this behalf.
- (2) The State Government, shall after due appropriation made by the State legislature by the law in this behalf, pay to the Board such sum of money, as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of the Act.
- (3) The Board shall have powers to receive funds from national and international donor agencies duly complying with the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976.

The Member-Secretary shall have power to prepare and submit proposals and execute projects after obtaining approval of the Board.

- (4) The Board shall frame guidelines on ways to ensure that decisions regarding the management and use of the Fund are transparent and accountable to the public.
- (5) The Board may frame its own guidelines regarding limit of quotation or tender for disbursement or payment for purchase or any works under the available budget for the purpose.
- 16. Annual Report and Annual Statement of Accounts of the Board.—(1) The Board shall prepare its Annual Report for each financial year giving detailed account of its activities of previous financial year and the annual statement of accounts and submit the same to the State Government.
- (2) The Board shall submit the Annual Report together with the audited statement of accounts within six months from the date of closing of accounts *i.e.* 30th September to the State Government.
- (3) The accounts of the Board shall be audited in consultation with the Accountant General of the State. The Board shall furnish audited copy of accounts together with auditor's report to the State Government by 30th October of each year in Form-2.
- (4) The Government shall cause the annual reports and auditor's report to be laid as soon as may be, after they are received, before the Legislative Assembly.
- 17. Management and Declaration of Biodiversity Heritage Sites.—(1) The Board shall, in consultation with local bodies or Biodiversity Management Committees and other stakeholders, take necessary steps to facilitate setting up of areas of biodiversity importance as "biodiversity heritage sites".
- (2) The Board shall also frame guidelines for management and other aspects in confirmation with the guidelines issued by the Central Government or State Government or National Biodiversity Authority.
- **18.** Constitution of Biodiversity Management Committees.—(1) Every local body shall constitute a Biodiversity Management Committee (BMC) within its area of jurisdiction.
- (2) The Biodiversity Management Committee as constituted under sub-rule (1) shall consist of a Chairperson and not more than six persons nominated by the local body, of whom not less than one third should be women and not less than 18% should belong to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes:

Provided that the members of the Biodiversity Management Committee shall be proven residents of the local body and their names should be included in the electoral role of the concerned local body.

- (3) The Chairperson of the Biodiversity Management Committee shall be elected from amongst the members of the committee in a meeting to be chaired by the Chairperson of the local body. The Chairperson of the local body shall have the casting votes in case of a tie.
- (4) The tenure of the Biodiversity Management Committee shall be maximum of five years and shall be co-terminus with the tenure of the local body, however, the existing Biodiversity Management Committee shall continue to function until a new committee is constituted.

- (5) The Biodiversity Management Committees shall hold minimum of four meetings in a year and meet atleast once in every three months. The meetings shall be chaired by the Chairperson of the Biodiversity Management Committee, and in his/her absence, by any other member elected by the members present. The quorum at every meeting shall be three including the Chairperson and excluding official member (Secretary).
- (6) The local member of the Legislative Assembly and Member of Parliament would be special invitees to the meetings of the Biodiversity Management Committees at different levels.
- (7) The main function of the Biodiversity Management Committee is to prepare people's biodiversity register in consultation with local people. The Register shall contain comprehensive information on availability and knowledge of local biological resources, their medicinal or any other use or any other traditional knowledge associated with them.

The Biodiversity Management Committee shall be responsible for ensuring the protection of people's biodiversity registers, especially to regulate its access to outside persons and agencies.

- (8) In addition to preparation of people's biodiversity registers, the Biodiversity Management Committees in their respective jurisdiction shall be responsible for following:—
  - (a) conservation, sustainable use and access and benefit sharing of biological resources;
  - (b) eco-restoration of the local biodiversity;
  - (c) feedback/information to the Board and the National Biodiversity Authority in the matter of Intellectual Property Right (IPR), traditional knowledge and local biodiversity issues;
  - (d) management of biodiversity heritage sites including heritage trees, animals/micro organisms etc., and sacred groves and sacred water bodies;
  - (e) regulation of access to the biological resources and associated traditional knowledge, for commercial and research purposes;
  - (f) conservation of traditional varieties/breeds of economically important plants/animals;
  - (g) biodiversity education and awareness building:
  - (h) documentation, enable procedures to develop bio-cultural protocols; and
  - (i) measures for conservation of migratory species of birds and animals;
- (9) Advise on any matter referred to it by the State Biodiversity Board for granting approval, maintain data about the local vaids and practitioners using the biological resources.
- (10) Technical support group may be constituted by the Board at appropriate level (State/Region/District/Developmental Block/Gram Panchayat etc.). The technical support group formed at any level may include representatives from Departments like Forests, Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Fishery, Ayurveda, Industry, Educational and Research & Development Institutions, Non-Governmental Organizations, Herbal Practitioners etc. based on the local conditions.

The technical support group shall assist the Biodiversity Management Committees in listing local names and traditional knowledge relating to *flora* and *fauna* and current practices of communities regarding conservation within its territorial jurisdictions, to be included in the people's biodiversity register.

- (11) The Biodiversity Management Committee shall ensure the documentation of the particulars in Peoples Biodiversity Registers as prescribed by the National Biodiversity Authority. The Board shall provide guidance and technical support to the Biodiversity Management Committees for preparing people's biodiversity registers.
- (12) People's biodiversity registers shall be maintained and validated by the Biodiversity Management Committees. It shall then be countersigned by the Board through its authorized officers.
- (13) The Biodiversity Management Committee shall also maintain a register giving information about the details of the access to biological resources and traditional knowledge granted, details of the collection fee imposed and details of the benefits derived and the mode of their sharing from area within its jurisdiction.
- (14) The Biodiversity Management Committee, in consultation with the Board, may levy charges by way of collection fees from any person accessing or collecting any biological resources for commercial purposes from areas falling within its jurisdiction.

The fee charged shall be deposited in the Local Biodiversity Fund of Biodiversity Management Committee.

- (15) Each Biodiversity Management Committee shall prepare an action plan drawing information validated in the people's biodiversity register. The technical support group shall provide help in preparation of action plan.
- (16) The local bodies shall ensure that the Biodiversity Management Committees are integrated with the functioning of existing local institutions by cross membership, regular coordination meetings and other such measures, as determined by the local bodies or as specified by the Board.
- **19.** Local Biodiversity Fund.—(1) As per sub-section (1) of Section 43 of the Act, there shall be constituted a fund to be called 'Local Biodiversity Fund' at the level of Biodiversity Management Committee or local body.
- (2) The fund shall be used for the conservation and promotion of biodiversity in the areas falling within the jurisdiction of the concerned local body and for the benefit of the local community in so far such use is consistent with conservation of biodiversity, as per sub-section (2) of Section 44 of the Act.
- (3) All funds, including local biodiversity fund, shall be operated jointly by the Chairperson and the Secretary of the Biodiversity Management Committee. The Board shall lay down the guidelines for operation of the fund including ways to make its functioning transparent and accountable.
- (4) The Secretary of the Biodiversity Management Committee shall maintain the accounts of the Biodiversity Management Committee. The accounting procedure shall be drawn up and format for the maintenance of the accounts/registers shall be provided by the Board.

- **20.** Annual Report and Audit of Accounts of Biodiversity Management Committee.—
  (1) The accounts of the Local Biodiversity Fund shall be maintained and audited annually by the Auditors, as specified by the Board, as per Section 46 of the Act.
- (2) The Biodiversity Management Committees shall prepare its annual report and giving full account of its activities during the previous financial year, alongwith audited copy of accounts together with auditor's report thereon, and submit a copy thereof to the Board, a copy to the general assembly of the local body and the District Magistrate having jurisdiction over the area of the local body in Form-3 by September 30th each year.
- **21. Settlement of Disputes.**—If a dispute arises between two or more Biodiversity Management Committees or between Biodiversity Management Committees and Departments or between two Departments on any issue related to the subject of Biodiversity, the aggrieved party(s) may file application before the Chairperson of the Board in prescribed Form-4. The order of the Chairperson shall be final and shall be applicable to all parties.

#### FORM-1

(See section 24 of the Act and rule-12)

Application form for access to Biological resources and associated traditional knowledge

#### **PART-A**

- 1. Full particulars of the applicant:
  - (a) Name:
  - (b) Permanent address:
  - (c) Address of the contact person/agent, if any, in India:
  - (d) Profile of the organization (personal profile in case the applicant is an individual). (Please attach relevant documents for authentication):
  - (e) Nature of business:
  - (f) Turnover of the organization in the Indian Rupee.
- 2. Details and specific information about nature of access sought and biological material and/or associated knowledge to be accessed:
  - (a) Identification (scientific name) of biological resources and its traditional use:
  - (b) Geographical location (including village, tehsil and district) of proposed collection:
  - (c) Description/ nature of traditional knowledge and its existing manifestations and uses (oral/documented):
  - (d) Any identified individual/family/community holding the traditional knowledge:
  - (e) Quantity of Biological resources to be collected:
  - (f) Time span in which the biological resources are proposed to be collected:

- (g) Name and number of person authorized by the company for making the collection:
- (h) The purpose for which the access is requested including the type and extent of research, commercial use being derived and expected to be derived from it:
- (i) Whether any collection or use of the resource endangers any component of biological diversity and the risks which may arise from the access.
- 3. Details of any national institution which will participate in the Research and Development activities:
- 4. Primary destination of accessed resource and identity of the location where the Research and Development activities will be carried out:
- 5. The economic and other benefits including those arriving out of any Intellectual Property Right, patent obtained out of accessed biological resources and knowledge that are intended, or may accrue to the applicant or to the country that he/she belongs:
- 6. The biotechnological, scientific, social or any other benefits obtained out of accessed biological resources and knowledge that are intended, or may accrue to the applicant or to the country that he/she belongs:
- 7. Estimation of benefits that would flow to communities arising out of the use of accessed bioresources and traditional knowledge:
  - 8. Proposed mechanism and arrangements for benefit sharing:
  - 9. Any other information:

#### **PART-B**

#### **Declaration**

I/we declare that collection and use of proposed biological resources shall not:

- adversely affect the sustainability of the resources;
- entail any environment impact;
- pose any risk to biodiversity, including eco system, species, and genetic diversity;
- adversely affect the local communities;

I/we undertake to pay fee and/or royalty, as may be levied by the Board or Biodiversity Management Committees. I/we further undertake to furnish any irrevocable bank guarantee, as may be prescribed by the Board.

I/we further declare the Information provided in the application form is true and correct and I/We shall be responsible for any incorrect/wrong information.

	Signature Name Title
Place	

#### FORM - 2

#### [See section 33 of the Act and rule 16(3)]

## **Annual Report Format for Himachal Pradesh State Biodiversity Board**

The "Annual Report" to be prepared by Himachal Pradesh State Biodiversity Board may have the following heads:

- 1. The period to which the report relates (Financial Year):
- 2. The office bearer during the period:
  - i. Name of the Chairperson:
  - ii. Name of the Member-Secretary:
- 3. Introduction and Biodiversity profile of the State:
- 4. Constitution of the Board:
- 5. Meeting of the Board, decisions taken and the minutes of meeting:
- 6. Progress report with respect to the constitution of Biodiversity Management Committee in the State :
  - 7. Progress report with respect to preparation of people's biodiversity register :
    - i. Documentation:
    - ii. Updation:
    - iii. Validation:
  - 8. Progress report towards the declaration of biodiversity heritage sites (BHS):
  - 9. Progress report of the ongoing projects (if any) and proposed projects:
  - 10. Statement of any other programmes /activities / celebration during the year :
  - 11. Activities related to Biodiversity Strategy and Action Plan:
- 12. Activities related to Human Resource Development (Workshop/Training Programmes/Conference / Seminars etc. :
  - 13. Financial position and Balance Sheet of the Board including Auditor's Report:
  - 14. Annual Financial Report:
- 15. Brief account of the state of Access and Benefit Sharing with respect to the Biological resource and traditional knowledge :
- 16. Important communication between Biodiversity Management Committee-State Biodiversity Board-National Biodiversity Authority:

- 17. Photographs, News clipping (if any):
- 18. Any other information:

#### FORM-3

#### [See section 45 of the Act and rule 20(2)]

#### **Annual Report Format for Biodiversity Management Committee**

The "Annual Report" to be prepared by Biodiversity Management Committee may have the following heads:

- 1. The name and particulars of the committee:
- 2. Constitution of the committee (Name of the members):
- 3. The period to which the report relates (Financial Year):
- 4. The incumbency of office for the period :
  - i. Name of the Chairperson:
  - ii. Name of the Secretary:
- 5. Detailed statement of programmes of action for the year :
- 6. Detailed report on the activities performed during the year :
- 7. A brief account of financial position of the committee :
- 8. Map of jurisdiction:
- 9. Progress of work in people's biodiversity register:
  - i. Documentation:
  - ii. Updation:
  - iii. Validation in consultation with the State Biodiversity Board:
- 10. Minutes of meetings and resolutions and decisions taken by Biodiversity Management Committee:
  - 11. Biodiversity Management Committee Annual Financial Report:
  - 12. List of Visitors:
- 13. List of persons/organizations who were provided access to biological resources and traditional knowledge by Biodiversity Management Committee :
  - 14. Detail of different receipts:
    - i. Receipt by way of fee levied for collecting biological resources:

	ii. R	Receipt by way of providing access to	traditional kn	owledge:				
	iii. R	iii. Receipt by way of Benefit sharing:						
	iv. R	iv. Receipt from other sources:						
		tant communication between Biod-National Biodiversity Authority:	odiversity M	anagement	Committee-State			
16.	Photog	graphs, News clipping (if any):						
17.	Any o	other information:						
			_					
		FORM – 4						
		(See rule 21	)					
		Form of Applica						
		BEFORE THE STATE BIODI		OARD				
		[Application No	of	]				
•••••								
		Vs.			Applicant (s)			
					Respondent (s)			
(He the case ma		ntion the designation of the Biodivers	ity Manageme	ent Committe	e/Department, as			
		ant begs to prefer this application ag the following facts and grounds.	ainst the orde	er dated	passed by			
1.	FACT	CS:						
	(Here	briefly mention the facts of the case )	:					
	i.							
	ii. iii.							
	iv.							

2.	GROUND:						
	(Here mention the grounds on which the application is made): i. ii. iii. iv.						
3.	RELIEF SOUGHT: i. ii. iii.						
4.	PRAYER						
	decision of the respondent be qu	ndent be quashed / modified / annulled to the					
		Signature of the applicant With Seal					
Place:		Address					
Dated:							
	VERIFI	CATION					
		what is stated above is true to the best of my day of					
		Signature of the applicant With Seal					
Place:		Address					
Dated:							
Enc been prefer	- · ·	order / direction, against which the application has					